

न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।

(सामान्य न्यायालय)

वाद सं०— एम०— 25 / 2023

वाद का प्रकार— धारा— 126 मा०ना०सु०सं०

विनोद खलखो —बनाम— लेवनार्ड खलखो वगै०

आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिक सं०— 56 / 2023 एवं चैनपुर थाना अप्राथमिकी काण्ड सं०— 23 / 2023 दिनांक— 23.12.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक थाना अप्राथमिकी काण्ड सं०— 23 / 2023 दिनांक— 23.12.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में (पूर्व का दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा— 107) धारा— 126 भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए आवेदक विनोद खलखो, पिता— फबियानुस खलखो, ग्राम— एम०एल०ए० रोड चैनपुर, थाना— चैनपुर, जिला— गुमला एवं प्रतिवादी 1. लेवनार्ड खलखो, पिता— फर्दीनंद खलखो 2. प्रसंता खलखो, पति— लेवनार्ड खलखो 3. दीप रितेश खलखो, पिता— लेवनार्ड खलखो 4. अनुराग खलखो, पिता— लेवनार्ड खलखो, 5. विनय खलखो, खलखो, पिता— फर्दीनंद खलखो, 6. संजय खलखो, पिता— फिलमान खलखो, 7. सुनीता खलखो, पति— पिता— फर्दीनंद खलखो, 8. रेनुका खलखो, पति— विनय खलखो, 9. वाल्टर खलखो, पिता— बलासियुस संजय खलखो सभी ग्राम— चैनपुर, थाना— चैनपुर, जिला— गुमला द्वारा पैतृक जमीन विवाद को लेकर उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को देखते हुए नोटिस निर्गत किया गया। तदआलोक में संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। थाना प्रभारी, चैनपुर से शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः इस वाद की वैधानिक अवधि समाप्त होने के पश्चात् वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

लेखापित एवं संशाधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,
चैनपुर (गुमला)।